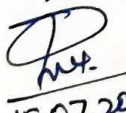


अपर समाहर्ता का न्यायालय, बोकारो।

एल0आर0 अपील वाद संख्या.....01.../2012

(राम प्रसाद महतो एवं अन्य बनाम् शंकर मुण्डा)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
15-07-2024	प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट) के न्यायालय का भू-वापसी वाद-18/2007-08 में पारित अंतिम आदेश दिनांक-01.02.2012 के विरुद्ध राम प्रसाद महतो, करमचन्द महतो एवं सतीश प्रसाद महतो, पिता- स्व० उदय महतो, सा०- मौजा गोपालपुर, थाना-जरीडीह, जिला-बोकारो के द्वारा लाया गया है। विवादित भूमि मौजा-गोपालपुर, खाता नं०-24, प्लॉट नं०-429, रकवा-0.74 मध्ये 0.10 एकड़ भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी अपने विद्वान् अधिवक्ता के माध्यम से भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट) के द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध अपीलवाद दायर किया गया है। इस वाद में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करने के बावजूद भी उभय पक्ष दिनांक 12.06.2024 से अबतक लगातार अनुपस्थित रहे हैं। याचिकाकर्ता भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट) के समक्ष भी हार चुके हैं। इससे ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ता मामले की पैरवी में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः याचिकाकर्ता की डिफॉल्ट के कारण यह याचिका खारिज की जाती है। इस आधार पर उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  15-07-2024 अपर समाहर्ता, बोकारो।  15-07-2024 अपर समाहर्ता, बोकारो।	